संख्या –1245/1–10–2012–14(23)/2004

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 14–मई, 2012

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–13 में दैवी आपदा राहत कार्यो हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 08.05.2012 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पी.ए.सी. मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–पी.ए.सी.–3–813–2011/2950, दिनांक 22.09.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में आगामी बाढ़ के दृष्टिगत दैवी आपदा से निपटने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू0 5,72,00,000/– (रूपये पांच करोड़ बहत्तर लाख मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	मद	वांछित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	2245 प्राकृतिक आपदा के कारण सम्भावित बाढ़ की दशा में राहत एवं बचाव कार्य हेतु (अनुदान सं0 51)	12,00,000/–	12,00,000/–
2	2245 प्राकृतिक विपत्तियों से सम्भावित बाढ़ में मोटर बोटों की मरम्मत हेतु। (अनुदान सं0 51)	10,00,000/–	10,00,000/–

3	प्रशिक्षण हेतु वाटर प्रूफ टेण्टो का कय (15 अदद प्रति दल (4×4मीटर @ 28000 प्रति वाटर प्रूफ टेण्ट। अर्थात 17 बाढ़ राहत कम्पनियों हेतु 17×15=255–149 (कय किये गये)=106 कय किये जाने हैं। 106×28000	29,68,000/–	29,68,000/–
4	9 विभिन्न प्रकार के बाढ़ उपकरणों का कय	32,76,441/–	32,32,000/–
5	31 अदद अल्यमोनियम रेस्क्यू बोट (प्रति रेस्क्यू बोट दर रू0 8 लाख)	2,48,00,000/–	2,48,00,000/–
6	40 अदद रबराइज्ड रेस्क्यू बोट (प्रति रेस्क्यू बोट दर रू0 6 लाख)	2,40,00,000/–	2,40,00,000/–
	योग	5,72,44,441/–	5,72,00,000/–

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक– विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800–अन्य व्यय–03–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3– शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनॉक 31 मार्च, 2013 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जाय।

4– आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। प्रमुख सचिव गृह विभाग उ0प्र0 शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

5– उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त. उपलब्ध कराया जाय।

6— व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या —1245(1)/1—10—12—14(23)/2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा)/(आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिदेशक, पी.ए.सी. मुख्यालय, महानगर, लखनऊ।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
   राजस्व अनुभाग—6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
10/5/12

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।